

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राजधकार से प्रकाजित

सं. 226]

नई ददल्ली, िपक्रवार, अगस्टूत 13, 2021/श्रावण 22, 1943

No. 226]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082021-228968

CG-DL-E-13082021-228968

PUBLISHED BY AUTHORITY

वस्ट्र मरं ालय

अजधसचू ना

नई ददल् ली, 13 अगस्टू त, 2021

अपरै ल/पररधानों और मडे अप्स के जनयातत पर रा्य एव ं कद्दीय करों तथा लजे वयों क छू आररएएससी िएल यजजना कज जारी रखना।

फा. स.ं 12015/11/2020- िी िपी.—पररधानों और मडे अप्स ेरों क प्रजतस्टू पधात मकता कज ब्राने के जलए उनके जनयातत पर सभी सजिजित रा्य एव ं कद्दीय करों तथा लेजवयों क छू के संबंघ म द भारत सरकार के जनणतय के अनपपालन म द वस्ट्र मंरालय न े ददनांक 07.03.2019 क अजधसूचना सं. 14/26/2016-रई िी आखंड-॥ के माध् यम से रा्य और कद्दीय करों तथा लेजवयों क छू आररएएससी िएल यजजना कज अजधसूजचत दकया था जज 31.03.2020 तक लागू थी। सरकार ने ददनांक 17.04. 2020 क अजधसूचना संख् या 12015/11/2020- िी िपी के माध् यम से वस्ट्र मंरालय क क्रमि: 07.03.2019 क अजधसूचना संख् या 14/26/2016-रई िी आखंड-॥ और ददनांक 08.03.2019 क अजधसचू ना संख् य ा 14/26/2016-रई िी आखंड-॥ के माध् यम से अजधसूजचत यजजना के ददिजनदिदेश ों और दरों मद कजई पररवततन दकए जबना जनयातजतत उ् पादों पर िल्प कों और करों क छू आररएडी िईपी यजजना के साथ ररएएससी िएल यजजना का जवलय दकए जाने तक उक्त यजजना कज ददनांक 01.04.2020 से जारी रखने का जनणतय जलया था।

2. इसके अलावा, सरकार ने वस्ट्र मंरालय क ददनांक 08 माचत, 2019 क अजधसूचना सं. 14/26/2016-रई िी आखंड-॥ के माध् यम से अजधसूजचत दरों के साथ इन अध् यायों के जलए ररएडी िईपी कज छजकरकर अपैरल/पररधानों आअध् याय 61 और 62 के अंतगतत और मेडअप्स आअध् याय 63 के अंतगतत के जलए ररएएससी िएल कज 01

जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक दरों के रजिस्टर पत्रों के अधीन, जारी रखने का जनमत जलया ि है ऐसे

4519 GI/2021

(1)

संविधानों के जलए दक्रियाजवजध का जनमत वस्टर मंत्रालय और जवत मंत्रालय ारा अलग से दकया जाएगा। तथाजप, ररएएससी िएल के तित पारता मानदंड अपररवर्तत रिगे ा। अन् य वस्टर उ पाद आअध् याय 61, 62 और 63 कज छजकरकर जज ररएएससी िएल के अंतगतत िाजमल नीं ि है, इस संबंध म द अजधसूजचत क जाने वाली तारीखों से वाजण य जवभाग ारा अंततम रूप ददए जाने के अनपसार, अन् य उ पादों के साथ ररएडी िईपी के अंत गतत लाभ, यदद कजई िज, उठाने के पार िोंगे।

3. यि यजजना िस्ट्ट ांतरणीय िी क्रेजड जस्ट्ट कप जारी करने के जलए एंड ि एंड जडजी लीकरण के साथ राजस्ट्ट व जवभाग ारा दक्रियाजन्वत क जाएगी, जजसका खरखाव सीमा िपल् क प्रणाली मद इलेक्र ांजनक खाते मद रखा जाएगा। जनयातत रय क प्राजि पर बल ददए जवना ररएएससी िएल यजजना के अंतगतत िी क्रेजड जस्ट्टकप जारी क जाएगी। ररएएससी िएल यजजना कज जारी रखने और दक्रियाजन्वत करने के जलए संविजधत ददिजनदिदेशि इसके साथ सलं ग न ि।।

जवजय कपमार ससि, अपर सजचव

अनवप
धं

अपरैल/पररधानों और मडे अप्स के जनयातत पर रय और कद्ीय करों तथा लेजवयों क छू आररएएससी िएल यजजना कज जारी रखने के जलए ददिजनदिदेशि ।

भारत सरकार ने अपैरल/पररधानों तथा मडे अप्स रे िों क प्रजतस्ट्टप धात मकता मद वदजधि करने के जलए अपैरल/पररधानों आअध् याय 61 एव ं62 के अंत गतत और मडे अप्स (अध्य ाय 63 के अंत गतत पर सभी सजममजलत र् य और कद्ीय करों तथा लेजवयों क छू के जलए ररएएससी िएल यजजना कज ददनांक 01.01.2021 से 31.03.2024 तक जारी रखने का जनमत जलया ि है यजजना के ददिजनदिदेशि िों कज जनमन ानसप ार अजधसूजचत दकया गया ि है

1. लघ प िीर्त इस यजजना कज अपैरल/पररधानों और मडे अप्स के जनयातत पर र् य और कद्ीय करों तथा लेजवयों क छू आइसके पश् चात इसे ररएएससी िएल क्वाि जाएगा यजजना क्वाि जाएगा।

2. उद्देश्य

2.1. जनयातत उ पादों क जीरज रें ग के स्ट्ट वीकदत अंतरातर िीय रर्तथक जसधि ांतों के अनपसार, यि जनमत जलया गया ि है दक कद् सरकार मूल य क सीमा के साथ ददनांक 08.03.2019 क अजधसूचना संख् या 14/26/2016-रई िी आखंड-।। के ारा अजधसूजचत दरों पर अपैरल/पररधानों एवं मेड-अप् स के जनयातत पर, िी ड्रॉबैक यजजना के अलावा रय एवं कद्ीय करों तथा लेजवयों मद छू का प्रावधान करेगी।

3. पररभार्ा

3.1. जनयातत क पाररभाजर्क जवजवधता तथा सजातीय अजभव् यजि सजित इसका अजभप्राय भारत से वस्ट्ट तपओ कज भौजतक रूप से भारत से बाि र दकसी स्ट्ट थान पर ले जाना ि है

3.2. जिसपग जबल अथवा जनयातत जबल का अजभप्राय अपैरल/पररधानों एवं मडे-अप् स के दकसी जनयातत क ारा सीमाल्पि क के दकसी उपयक्प त अजधकारी के सम् क गई प्रजवजटिि है

3.3. जनयाततजतत अपैरल/पररधानों तथा मडे-अप् स से सबं ंजधत मल्ू य, बजडत पर जनःपिल्क आफएबी मल्ू य िजगा।

3.4. अपैरल/पररधानों का अजभप्राय ड्रॉबकै क सभी औद्यजजगक दरों आरईरर क अनपसच्ी के अध् याय 61 और 62 के अंतगतत रने वाली वस्ट्ट पएं िजगा। मडे-अप् स का अजभप्राय ड्रॉबकै क सभी औद्यजजगक दरों आरईरर क अनसप च्ी के अध् याय 63 के अंतगतत रने वाली वस्ट्ट पएं िजगा जजसमद िररफ मदद 6308, 6309, 6310 तथा िररफ मद द9404 क वस्ट्ट तपएं िाजमल नीं ि । जज ड्रॉबकै िररफ मद 6304 से बाि र रखी गई ि।।

3.5. र् य करों और लेजवयों मद छू के मामले मद यि समझा जाएगा दक इसमद पररविन मद प्रयक्प त ंधधनपर वै, कैजप् व जवद्यतप, फामत रे, मडंी कर, जवद्यतप िपल्क, जनयातत दस्ट्ट ावजे िों पर स्ट्ट ।पू िी, कच् ची कपास के उपादन मद प्रयपक्त क नािकों, उवतरकों रदद जैसे इनप प िोंपर अंतर्तनजित

एसजीएस ी, अपजं ीकदत डीलरों से खरीद, जवद्यतप के उप ादन मद प्रयक्प त कजयले तथा पररविन ्रे के जलए इनपप िाजमल ि।ै

- 3.6. कद्ीय करों और लजे वयों मद छू के मामले मद यि समझा जाएगा दक इसमद पररविन मद प्रयक्प त ंधधन पर कद्ीय उप ाद िल्प क, कच् चे कपास के उप ादन मद प्रयक्प त क नािकों, उवतरक रदद जैसे े इनप प पर प्रदूत अंतर्तनजित सीजीएस ी, अपजं ीकदत डीलरों से खरीद, पररविन ्रे के जलए इनप प तथा जवद्यतप उ पादन मद प्रयक्प त कजयले पर अंतर्तनजित सीजीएस ी और प्रजतपूर्त उपकर िाजमल ि।ै
4. छू क प्रकदजत
 - 4.1. इस यजजना के अंतगत छू ू ी क्रेजड जस्ट्रूप के रूप मद िजगी। जस्ट्रूप कज सीमा िल्प क प्रणाली पर इलेक्रॉजनक तरीके से जारी दकया जाएगा। ू ी क्रेजड जस्ट्रूप का उपयजग वस्ट्रु तपओ के रयात पर बपजनयादी सीमा िल्प क के भपगतान के जलए दकया जाएगा। ये जस्ट्रूप स्ट्रु वंतर रूप से िस्ट्रु तांरणीय िोंगे। बपजनयादी सीमा-पिल्क के भपगतान और अनु य तौर-तरीकों तथा इससे सब ंजधत जस्ट्रु जतयों सजित यजजना के अनपरूप, जस्ट्रूप उपयजग के तरीके के संबंध मद उजचत सूचना राजस्ट्रु व जवभाग ारा जारी क जाएगी।
5. छू सबं जं धत दरद और प्रजतबंध
 - 5.1. ड्रॉबैक सजमजत ारा संस्ट्रु तपत और वस्ट्रु र मंरालय ारा 8 माचत, 2019 क अजधसूचना संखं या 14/26/2016-रई ीआखंड-II ारा अजधसूजचत दरद और सीमा लागू िजगी।
 - 5.2. सरकार संगत अंतर्तनजित ितों मद पररवतनत के रलजक मद दर और सीमा कज उपयक्त रूप से समायजजत करन े का अजधकार रखती ि।ै यजजना के तित दरों क रवजधक समीक जाएगी जजसका जनधातरण वस्ट्रु र मंरालय और जव त मंरालय ारा अलग से दकया जाएगा।
 - 5.3. वस्ट्रु र मंरालय के ददनांक 2.5.2019 [पैरा 2आड] क अजधसूचना संखं या 14/26/2016-रई ीआखंड-II आभाग II और ददनांक 4.6.2019 क संखं या 14/26/2016-रई ीआखंड-II आभाग II के ारा यथाजनधातररत प्रजतबंध लागू रिगद े। ररएएससी ीएल का दावा करने वाले जनयाततकों ारा इन प्रजतबंधों का अनपपालन और अनपसरण करना सपजनजित दकया जाएगा और वे ररएएससी ीएल का दावा करत े समय, राजस्ट्रु व जवभाग ारा जनधातररत तरीके से इस संबंध मद घजर्णा करदगे।
6. छू के जलए दावा
 - 6.1. इस यजजना कज चनप न े वाला एक जनयाततक, सीमा-पिल्क प्रणाली पर यजजना कज प्रचाजलत करन े के जलए राजस्ट्रु व जवभाग ारा जारी दकए जान े वाले ददाजनददेशिों के अनपसार, मद-स्ट्रु तर पर जनयातत पर छू के जलए दावा करेगा।
 - 6.2. इलेक्रॉजनक ड्यू ी क्रेजड लेजर सीमा िपल्क प्राजधकारी ारा बनाया जाएगा और जनयाततक मूल्य के जलए इलेक्रॉजनक ड्यू ी क्रेजड जस्ट्रु रूिप कर सकता ि।ै, जज उसके खाते मद पकरा हुर ि।ै
7. छू का तरं
 - 7.1. यि यजजना राजस्ट्रु व जवभाग आडीएरर ारा िस्ट्रु तांतरणीय ू ी क्रेजड जस्ट्रु रूिप जारी करने के जलए एंड ू एंड जडज लीकरण के साथ लागू क जाएगी, जजसे सीमा िपल्क प्रणाली मद इलेक्रॉजनक ू ी क्रेजड लेजर मद बनाए रखा जाएगा।
 - 7.2. ररएएससी ीएल यजजना के तित ू ी क्रेजड जस्ट्रु रूिप जनयातत रय क वसूली पर जजर ददए जबना जारी दकया जाएगा। तथाजप, जनयातत रय क वसूली क प्रभावी जनगरानी के जलए पयाति र्जपाय तरं स्ट्रु थाजपत दकया जाएगा।
 - 7.3. जबदक प्रस्ट्रु ताजवत यजजना कज फजगोन राजस्ट्रु व के रधार पर लागू दकया जाएगा, वार्तर्क जवत्तीय जववरण मद उपयपि प्रजवजटियों के माध्यम से एक बज ीय जनयंरण का प्रयजग दकया जाएगा। यि सपजनजित करन े के जलए दक यजजना के तित व्यय दकसी जविर् जवत्तीय वर् त मद रवं न राजि स े अजधक न िज, यजजना के तित व्यय और देयताओ क जतमािी रधार पर समीक जाएगी और व्यय कज जनधातररत रवं न के भीतर रखन े के जलए रवश्यक उपाय दकए जाएंगे।
 - 7.4. लेखापरी और स्यापन के प्रयजजन के जलए, जनयाततक कज यजजना के तित दकए गए अपने दावों कज प्रमाजणत करने के जलए ररकॉड त रखन े क रवश्यकता िजगी। कद्ीय अप्पु कर और सीमा िपल्क बजड त आसीबीरईसी एक सूचना प्रौद्यजजगक रधाररत जजजखम प्रबंधन प्रणाली आररएमएस के साथ एक जनगरानी और लेखा परी तरं स्ट्रु थाजपत करेगा।
 - 7.5. वस्ट्रु र मंरालय यजजना का वार्तर्क प्रभाव जवेर्ण करेगा। व्यापक स्ट्रु तर क जनगरानी के जलए, एक रड पप पररणाम ढांचे कज अलग से अजधसूजचत दकया जाएगा।

8. गलत घजर्णा के रधर पर अजधक दावा/दावा और वसलू ी के जलए प्रदक्रया:
- 8.1. छू अनपमजत जवदेीी मप्ा प्रबंधन अजधजनयम, 1999 के तित अनपमत समय के भीतर जबक्र रय क प्राजि के अधीन िै, अन् यथा ऐसी छू क अनपमजत कभी नीं दी गई मानी जाएगी। गलत या अजधक भपगतान दकए गए ररएएससी ीएल क वसूली के जलए सीमा िल्प क प्राजधकाररयों ारा सीमा िल्प क अजधजनयम के तित कारतवाई क जा सकती िै इसके अलावा, जनयाततक कज गलत गणना से रिप िजन े वाल े जस्ट्रूप के माध्यम से जारी छू के दकसी भी अजधक भपगतान कज वापस करन े क रवश्यकता िै जिा ं चपकौती, वसूली या वापसी िै, विं जनयाततक ारा प्रजत वर्त पं्ि प्रजतित आ15% क दर से दंड सजित, यदद अजधजनणयत रदि के तित अजध रजजपत दकया गया िज, ब्याज का भपगतान भी दकया जाएगा, जजसक गणना जस्ट्रूप के डेजब क तारीख से चपकौती, वसूली या वापसी क तारीख तक क जाएगी। जनयाततक के पास ब्याज के भगप तान के जबना ररएएससी ीएल के तित प्राि अप्रयपक्त जस्ट्रूप कज छजकरने का जवकल्प िज सकता िै, िालांदक, सीमा िपल्क अजधजनयम के प्रावधानों के तित गलत घजर्णा और कप पूण त व्यविर ारा ऐसी ूी क्रेजड जस्ट्रूप प्राि करन े पर जपमातना लगाया जा सकता िै
- 8.2. यदद वसूली देय िै, तज सीमा िपल्क अजधकारी जनयाततक कज एक पर जारी करेगा और जनयाततक से अनपरजध करेगा दक वि 30 ददनों के भीतर सीमा िपल्क के संग त खाता िीर्त " मपख्य िीर्त 0037-सीमा िपल्क और लघ प िीर्त 001-रयात िल्प क" मद पूरी राजि आबू याज सजित मलू धन जमा करे। अनपपालन के अभाव मद, सीमा िपल्क अजधजनयम के तित कारतवाई िपरू क जाएगी और िल्प क और ब्याज क वसूली के जलए उपयपि कारतवाई के साथ जपमातना लगाया जा सकता िै
9. यजजना क अवजध
अपैरल/गारमद स और मडे-अप्स के जलए ररएएससी ीएल यजजना 01 जनवरी, 2021 से 31.03.2024 तक जारी रिगे ी।
10. रवजधक मलू य ांकन
जव त मंरालय ारा सूजचत जव तीय सीमा के भीतर ररएडी ीईपी और ररएएससी ीएल के तित देनदाररयों का प्रबंधन दकया जाएगा। जवतीय वर्त के जलए परस्ट्रूपर जवतीय रवं न म द कजई भी पररवततन जवत्त मंरालय आएमएएफ के परामि त से दकया जाएगा। इसके अलावा, यि सपजनजित करने के जलए दक इन यजजनाओ के तित व्यय रवं न राजि से अजधक न िज, इन यजजनाओ के तित व्यय और दने दाररयों क जतमािी रधर पर व्यय जवभाग क अध्यता वाली एक सजमजत ारा समी क जाएगी और इसमद राजस्ट्रुव जवभाग, वाजण्य जवभाग और आररएएससी ीएल के जलए वस्ट्र र मंरालय िाजमल िोंगे तादकव्यय कज जनधातररत रवं न के भीतर रखा जाए। सीमा िपल्क अपने जसस्ट्र म पर यि सपजनजित करेगा दक इन यजजनाओ के तित व्यय रवं न राजि से े अजधक न िज।
11. बचत खडं
ररएएससी ीएल यजजना के समाि िजन े पर, दावे के जवरुधि गरै-जारी छू का फैसला इस यजजना के प्रावधानों के अनपसार दकया जाएगा।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, 13th August, 2021

Continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

F. No. 12015/11/2020-TTP.—In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on export of garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the Ministry of Textiles vide notification No. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 notified the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) which was in force up to 31.03.2020. Vide Notification No 12015/11/2020-TTP dated 17.04.2020, the Government decided to continue the said Scheme w.e.f. 01.04.2020 until such time that the RoSCTL Scheme is merged with Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme without any change in Scheme guidelines and rates, as notified vide Ministry of Textiles' Notification Nos. 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 7.3.2019 and 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019, respectively.

2. Further, the Government has decided to continue the RoSCTL w.e.f. 01st January 2021 to 31st March 2024 for apparel/garments (under Chapter 61 and 62) and Made-ups (under Chapter 63) in exclusion of

RoDTEP for these Chapters with the rates, as notified by the Ministry of Textiles vide Notification no.14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08th March 2019 subject to review of rates periodically. A mechanism for such revision shall be decided separately by Ministry of Textiles and Ministry of Finance. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged. The other textiles products (excluding Chapter 61,62 and 63) which are not covered under the RoSCTL shall be eligible to avail the benefits, if any, under RoDTEP along with other products, as to be finalised by Department of Commerce from the dates which may be notified in this regard.

3. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds. Revised guidelines for continuation and implementation of the RoSCTL scheme is Annexed herewith.

VIJOY KUMAR SINGH, Addl. Secy.

Annexure

Guidelines for Continuation of Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

The Government of India has decided to continue RoSCTL scheme w.e.f. 01.01.2021 to 31.03.2024 to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on apparel/garments (under Chapter-61 & 62) and made-ups (under Chapter-63) to enhance competitiveness of these sectors.

1. SHORT TITLE

The scheme shall be called Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/garments and Made-ups (hereinafter referred to as RoSCTL).

2. OBJECTIVE

2.1 In accordance with the recognized international economic principle of zero rating of export products, it has been decided that the Central Government shall provide for rebate of State and Central Taxes and Levies in addition to the Duty Drawback Scheme, on export of apparel/garments and Made-ups at rates notified vide Notification No 14/26/2016-IT (Vol.II) dated 8.3.2019 with value caps.

3. DEFINITIONS

- 3.1. **Export** with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods physically out of India to a place outside India.
- 3.2. **Shipping Bill or Bill of Export** shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of apparel/garments and made-ups
- 3.3. **Value** in relation to exported apparel/garments and made-ups shall be the Free on Board(FOB) value.
- 3.4. **Apparel/Garments** shall mean goods falling under Chapters 61 & 62 of the Schedule of All Industry Rates(AIR) of Drawback. Made-ups shall mean goods falling under Chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from drawback tariff item 6304.
- 3.5. **Rebate of State Taxes and Levies** shall be understood to comprise VAT on fuel used in transportation, captive power, farm sector, mandi tax, duty of electricity, stamp duty on export documents, embedded SGST paid on inputs such as pesticides, fertilizers etc. used in production of raw cotton, purchases from unregistered dealers, coal used in production of electricity and inputs for transport sector.
- 3.6. **Rebate of Central Taxes and Levies** shall be understood to comprise central excise duty on fuel used in transportation, embedded CGST paid on inputs such as pesticides, fertilizer etc. used in

production of raw cotton, purchases from unregistered dealers, inputs for transport sector and embedded CGST and Compensation Cess on coal used in production of electricity.

4. NATURE OF REBATE

- 4.1. The rebate under the Scheme shall be in the form of duty credit scrips. The scrips shall be issued electronically on Customs system. The duty credit scrips shall be used for payment of Basic Customs Duty on import of goods. These scrips shall be freely transferable. The relevant notification, as regard the manner of utilization of scrip for payment of basic customs duty and other modalities, including conditions relating thereto, consistent with the Scheme, shall be issued by the Department of Revenue.

5. RATES AND RESTRICTIONS ON REBATE

- 5.1. The rates and cap as recommended by Drawback Committee and notified by Ministry of Textiles vide Notification no.14/26/2016-IT (Vol.II) dated 08th March 2019 will be applicable.
- 5.2. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. Rates under the scheme shall be subject to review as per periodicity to be decided separately by Ministry of Textiles and Ministry of Finance.
- 5.3. The restrictions as prescribed by Ministry of Textiles vide notifications No.14/26/2016IT(Vol.II)(Part II), dated 02.05.2019 [para 2 (e)], and No. 14/26/2016-IT(Vol.II)(Part II), dated 04.06.2019 shall continue to apply. Compliance and adherence to these restrictions shall be ensured by exporters claiming RoSCTL, and they shall make declaration in this regard, while making RoSCTL claim, in the manner as may be prescribed, by DoR.

6. CLAIM FOR REBATE

- 6.1 An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate on exports at item-level, in accordance with the guidelines as may be issued by the Department of Revenue, for operationalising the scheme on Customs system.
- 6.2 Electronic duty credit ledger will be created by the Customs Authority and the exporter may generate electronic Duty Credit Scrip for value, lying in his/her ledger.

7. MECHANISM OF REBATE

- 7.1. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue (DoR) with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic duty credit ledger in the Customs system.
- 7.2. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds. However, adequate safeguard mechanism shall be put in place for effective monitoring of realization of export proceeds.
- 7.3. While the proposed Scheme will be implemented on a revenue foregone basis, a budgetary control would be exercised through appropriate entries in the annual financial statement. To ensure that expenditure under the Scheme does not exceed the allocation amount in a particular financial year, the expenditure and liability under the Scheme shall be reviewed on a quarterly basis and measures, as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation.
- 7.4. For the purpose of audit and verification, the exporter would be required to keep records to substantiate their claims made under the Scheme. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) would put a monitoring and audit mechanism, with an Information Technology based Risk Management System (RMS), in place.
- 7.5. Ministry of Textiles will conduct annual impact analysis of the scheme. For a broad level monitoring, an output outcome framework shall be notified separately.

8. Over-claim/ claim based on mis-declaration and procedure for recovery:

- 8.1 The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed to have never been allowed. Action under the Customs Act may be taken by the Customs Authorities for recovery of

erroneous or excess paid RoSCTL. Further, the exporter is required to return any over-payment of rebate issued through the scrips arising from miscalculation. Where there is repayment, recovery or return, interest shall also be paid by the exporter at the rate of fifteen per cent (15%) per annum calculated from the date of debit of the scrip till the date of repayment, recovery or return along with penalty, if imposed under an Adjudication order. Exporter may have option to surrender unutilized scrip obtained under RoSCTL without payment of interest, however, a penalty may be imposed in case such Duty Credit Scrip is obtained by misdeclaration and fraudulent practice, under the provisions of Customs Act.

- 8.2 In case a recovery is due, Officer of Custom shall issue a letter to the exporter and request the exporter to deposit the full sum (principal plus interest) within 30 days in the relevant account head of Customs “Major Head 0037-Customs and minor head 001-Import Duties”. In case of non-compliance, action under the Custom Act would be initiated and a penalty may be imposed along with suitable action to recover duty plus interest.

9. Duration of the Scheme

RoSCTL Scheme for apparel/garments and made-ups shall be continued w.e.f 01st January 2021 till 31.03.2024.

10. PERIODIC ASSESSMENT

The liabilities under RoDTEP and RoSCTL will be managed within the financial ceiling communicated by the Ministry of Finance. Any change in the inter se financial allocation for the financial year shall be done in consultation with Ministry of Finance (MoF). Further, to ensure that the expenditure under these Schemes do not exceed the allocation amount, the expenditure and liability under these Schemes shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure and consisting of Department of Revenue, Department of Commerce and Ministry of Textiles (for RoSCTL) to keep the expenditure within the prescribed allocation. Customs shall ensure on their system that expenditure under these Schemes does not exceed the allocated fund.

11. SAVING CLAUSE

Upon cessation of the RoSCTL Scheme, the non-issued rebate against claim shall be settled in accordance with the provisions of this Scheme.